कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

–:आदेश:–

क्रमांक 165 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2017 नया रायपुर, दिनांक 18-07-17

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक एफ 1–1/2016/34–1 दिनांक 10.06.2016 एवं वित्त विभाग के जावक कमांक 244/ब–2, कम्प्यूटर कमांक–34–00334 दिनांक 25.05.2016 से प्राप्त निर्देश में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक 7035 दिनांक 30.09.2016 के माध्यम से जारी विज्ञापन अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 24.12.2016 को उप अभियंता (सिविल) के परीक्षा का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 28.06.2017 को आयोजित कांउसिंलिंग में अभ्यर्थियों के अर्हता संबंधी विभागीय छानबीन समिति द्वारा उपयुक्तता परीक्षण पश्चात् अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उप अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– + ग्रेड वेतन रू. 4200/– प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में सूची के नीचे में दर्शित शर्तो के अधीन पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट कमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1	श्री प्रेमलाल उरांव	श्री रमेश लाल उरांव	अजजा	अजजा (मुक्त)	4	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड घरघोडा
2	श्री विभाष सोमावार	श्री विरेन्द्र सोमावार	अजजा	अजजा (मुक्त)	6	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड डभरा
3	कु. अनुराधा पैकरा	श्री बदन सिंह पैकरा	अजजा	अजजा (महिला)	7	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सीतापुर
4	श्री यशवंत सिंह ठाकुर	श्री डी.एस. ठाकुर	अजजा	अजजा (मुक्त)	9	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड चांपा
5	श्री विजय कुमार पावले	श्री रामदास पावले	अजजा	अजजा (मुक्त)	12	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रामानुजगंज
6	कु. मोनिका ताराम	श्री सदाराम ताराम	अजजा	अजजा (महिला)	14	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड राजनांदगांव
7	श्री टोमन लाल	श्री माधो लाल	अजजा	अजजा (मुक्त)	16	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बोडला
8	श्री हिरेन्द्र बघेल	श्री रामनारायण बघेल	अजजा	अजजा (मुक्त)	22	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड क–1 जगदलपुर
9	श्री भूपेन्द्र सिंह कोर्चे	श्री हरिनारायण सिंह कोर्चे	अजजा	अजजा (मुक्त)	23	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बैकुण्ठपुर
10	श्री लर्जयेमेश्वर सिंह नेताम	श्री रमेश कुमार नेताम	अजजा	अजजा (मुक्त)	24	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड चौकी
11	श्रीमती दुर्गेश्वरी मिश्रा	श्री अनिल मिश्रा	अनारक्षित	अनारक्षित (निःशक्तजन दृष्टि बाधित)	26	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कटघोरा
12	कु. हर्षा	श्रीमती रजनीलता	अजजा	अजजा (महिला)	27	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड धरमजयगढ़
13	श्री रविन्द्र ताती	श्री कोसराम ताती	अजजा	अजजा (मुक्त)	28	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यांत्रिकी परियोजना खण्ड क–2 जगदलपुर
14	श्री दिनेश धुर्वे	श्री रतिराम धुर्वे	अजजा	अजजा (मुक्त)	33	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड खैरागढ़
15	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	श्री परसु राम सिंह	अजजा	अजजा (मुक्त)	34	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड अंबिकापुर
16	कु. ज्योत्सना लकडा	श्री निवास लकडा	अजजा	अजजा (महिला)	40	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बैकुण्ठपुर
17	श्री प्रकाश मरकाम	श्री राजू राम मरकाम	अजजा	अजजा (मुक्त)	42	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कमांक–2 दंतेवाड़ा

counseling

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट कमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
18	कु. मंजु खलखो	श्री जवाराम खलखो	अजजा	अजजा (महिला)	44	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बलरामपुर
19	कु. प्रतिभा टोप्पो	श्री इलियास टोप्पो	अजजा	अजजा (महिला)	45	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पथरिया
20	श्री गोपाल ध्रुव	श्री रामनाथ ध्रुव	अजजा	अजजा (मुक्त)	46	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड गरियाबंद
21	कु. कल्पना	श्री पर्वत राम	अजजा	अजजा (महिला)	47	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कोण्डागांव
22	श्री अविनाश एक्का	श्री प्लेशिडियस एक्का	अजजा	अजजा (मुक्त)	48	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड नगरी
23	श्री अविनाश मिंज	श्री केमिल मिंज	अजजा	अजजा (मुक्त)	52	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड ओडगी
24	श्री सीमांत खरे	श्री रघुराम खरे	अजजा	अजजा (मुक्त)	54	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बालोद
25	कु. पल्लवी ध्रुव	श्री तीरथ राम ध्रुव	अजजा	अजजा (महिला)	57	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पाटन
26	श्री मनमोहन सिंह	श्री हीरा सिंह	अजजा	अजजा (मुक्त)	59	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जनकपुर
27	श्री विकास एक्का	श्री लाजरूस एक्का	अजजा	अजजा (मुक्त)	61	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कांसाबेल
28	श्री दशमेश ध्रुव	श्री कुमात राम ध्रुव	अजजा	अजजा (मुक्त)	64	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सुकमा
29	कु. खगेश्वरी मांझी	श्री होरीलाल मांझी	अजजा	अजजा (महिला)	66	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सक्ती
30	कु. सुभद्रा	श्री सुग्रेशन सिंह	अजजा	अजजा (महिला)	93	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड कुसमी
31	कु. राधिका अंजन	श्री शिवराम अंजन	अजजा	अजजा (महिला)	121	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड ओडगी
32	कु. निभा कोर्राम	श्री केशव लाल	अजजा	अजजा (महिला)	122	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड केशकाल
33	कु. उमा सिदार	श्री सोनू राम सिदार	अजजा	अजजा (महिला)	124	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड खरसिंया
34	श्री उत्पल यादव	श्री फिकरो राम यादव	अपिव	अपिव (निःशक्तजन दृष्टि बाधित)	198	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जशपुर

<u>यह नियुक्तियां निम्न शर्तो के अधिन होगीः–</u>

1. अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जायेगी।
2. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, निःशक्तता प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण–'पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधियां पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेंगी।
7. उपरोक्त उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की परीविक्षा अवधि में रहेंगे।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

9. किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम–60 के उपनियम–12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते है तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम का न हो देना होगा।

10. अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्डमेंट मेन्युअल भाग–1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा तीन वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

11. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 980/सी–761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी के लिये नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

12. कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. उप अभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।

14. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीद्वार बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

नोटः– राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी/सी क्रमांक 592/2012, रिट पिटी (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

(टी.जी. कोसरिया)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ0कं. 5749 स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2017 नया रायपुर, दिनांक 18/07/2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग–परिक्षेत्र/मण्डल/खण्ड/उपखण्ड (परि0/संधारण) .....
.....
कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे एवं तत्संबंध में उपस्थिति अवधि के पश्चात् स्थिति से प्रमुख अभियंता कार्यालय को सूचित करें।
4. संबंधित चयनित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) .....
.....
.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

18.7.17
(टी.जी. कोसरिया)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

counseling